



राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)



प्रधानाचार्य कार्यालय

राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा

सिंदरी के बालाजी रोड, सांगानेर, भीलवाड़ा - 311001 (राजस्थान)



क्रमांक- RVRSMC/Estt./2019/ 1195

भीलवाड़ा, दिनांक

24-10-19

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक RVRSMC/Estt./2018/10 दिनांक 29.10.2018 द्वारा पूर्व में गठित लैंगिक उत्पीड़न कमेटी के सदस्य डॉ सुशीला राठी (आचार्य) गायत्री विभाग की अधिवर्षिक आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो जाने के कारण लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, एवं रूल्स 2013 प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की अनुपालना में गठित कमेटी में निम्न संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	मोबाईल नंबर
1	डॉ रीटा वर्मा, अध्यक्ष (आचार्य) सर्जरी विभाग	94609-95303
2	डॉ रजनी गौड़, सदस्य (आचार्य) नेत्र विभाग	99282-09956
3	डॉ फरजाना सिद्दीकी, सदस्य (सहआचार्य) फार्माकोलोजी विभाग	96023-36876
4	सुश्री सुमन इंडीया, सदस्य (वरिष्ठ प्रदर्शक) एनाटॉमी विभाग	80580-15301

5. Sh. Ashit Kothari (Acharya Tolai Foundation)

उक्त कमेटी सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि शिकायत समितियों की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संधारित करें।

21/10/19
प्रधानाचार्य 20/10/19

राजमाता विजयाराजे सिंधिया
मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा

भीलवाड़ा, दिनांक: 24-10-19

क्रमांक- RVRSMC/Estt./2019/ 1195

प्रतिलिपि:-

1. पीएमओ, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा।
2. एकेडमिक इन्चार्ज, मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा।
3. संबंधित समिति सदस्य को पालनार्थ प्रेषित।
4. रक्षित पत्रावली।

21/10/19
प्रधानाचार्य

राजमाता विजयाराजे सिंधिया
मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा

